भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4042

17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: धान की खेती पर चक्रवात 'मोंथा' का प्रभाव

4042. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छठ पर्व के दौरान चक्रवात 'मोंथा' के प्रभाव से बिहार राज्य में, विशेषकर बक्सर, कैमूर और रोहतास जैसे जिलों और कई अन्य क्षेत्रों में, भारी वर्षा और तेज हवाओं के कारण किसानों की धान की फसल को व्यापक क्षति हुई है;

(ख) क्या 'पेनिकल' निर्माण की संवेदनशील अवस्था के दौरान, तूफानों और बारिश के कारण धान के फूल गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की उपज में लगभग 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए फसल क्षति संबंधी विशेष आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त प्रभावित किसानों को मुआवजा, सहायता और विशेष राहत पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख): बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कैमूर (भभुआ) जिले में 33 प्रतिशत से अधिक 6,357 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति की सूचना मिली थी। बक्सर और रोहतास जिलों में शून्य रिपोर्ट (33% से अधिक फसल क्षति नहीं) की सूचना मिली थी। कैमूर, बक्सर और रोहतास जिलों से धान की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आई।

(ग) एवं (घ): जिला मजिस्ट्रेट, कैमूर (भभुआ) की फसल क्षति आकलन रिपोर्ट के आधार पर डीबीटी पोर्टल पर कैमूर जिले की प्रभावित पंचायतों के किसानों से 6,366 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में 3,206 बाढ़-प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में 2,88,51,260 रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

(ङ) एवं (च): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, चक्रवातों सहित अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकार जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध फंड से राहत उपाय प्रदान करती हैं। गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से एसडीआरएफ के अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ के अंतर्गत सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करना शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में दी जाती है न कि मुआवजे के लिए।

बिहार राज्य सरकार से मोंथा चक्रवात के कारण हुई क्षति और हानि के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 1836.00 करोड़ रुपये (1376.80 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 459.20 करोड़ रुपये राज्य हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 688.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई है।
